राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

1. अपील संख्या – 907/2009/कोटा.
2. अपील संख्या – 908/2009/कोटा.

मैसर्स गैल इण्डिया लिमिटेड, गढ़ेपान, कोटा. .....अपीलार्थी.

बनाम

1. वाणिज्यिक कर अधिकारी, विशेष वृत, कोटा.
2. उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर विभाग, कोटा. .....प्रत्यर्थी.

खण्डपीठ
श्री राजीव चौधरी, सदस्य
श्री के. एल. जैन, सदस्य

उपस्थित : :

श्री एम. एल. पाटौदी, अभिभाषक .....अपीलार्थी की ओर से.

श्री अनिल पोखरणा,
उप–राजकीय अभिभाषक .....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 14/12/2017

निर्णय

1. अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा ये दोनों अपीलें उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर विभाग, कोटा (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा जायेगा) के अपील संख्या क्रमशः 5/ई.टी./2008–09/कोटा/माल पर प्रवेश कर में पारित किये गये आदेश दिनांक 15.05.2009 एवं 4/ई.टी./2008–09/कोटा/माल पर प्रवेश कर में पारित किये गये आदेश दिनांक 24.04.2009 के विरूद्ध राजस्थान में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1999 (जिसे आगे **'प्रवेश कर अधिनियम'** कहा जायेगा) की धारा 24 के तहत प्रस्तुत की गयी हैं। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेशों से वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत–विशेष, कोटा (जिसे आगे **'कर निर्धारण अधिकारी'** कहा जायेगा) द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी की आलौच्य अवधि वर्ष 2002–03 के लिये पारित किये गये आदेश दिनांक 31.03.2006 व कर निर्धारण वर्ष 2003–04 के लिये पारित किये गये आदेश दिनांक 24.04.2009 के विरूद्ध प्रस्तुत अपीलों में पुनः कर निर्धारण आदेश पारित किये जाने हेतु दोनों प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किये गये हैं।

2. दोनों प्रकरणों में पक्षकार एवं विवादित बिन्दु समान होने से दोनों अपीलों का निस्तारण एक ही आदेश से किया जा रहा है। निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली पर पृथक–पृथक रखी जा रही है।

3. दोनों पक्षों की बहस सुनी गयी एवं उपलब्ध रेकॉर्ड का अवलोकन किया गया।

लगातार.....2

14/12/17

4. अपीलीय अधिकारी द्वारा दोनों प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को पुनः कर निर्धारण आदेश पारित किये जाने हेतु प्रतिप्रेषित किये गये हैं। इस सम्बन्ध में विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने बहस के दौरान कथन किया कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा उक्त दोनों प्रकरणों में प्रतिप्रेषित निर्देशों की पालना में पुनः आदेश दिनांक 17.05.2011 को पारित किये जा चुके हैं, ऐसी स्थिति में दोनों अपीलें निष्प्रभावी हो चुकी हैं। विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रतिप्रेषित आदेशों की पालना में पारित किये गये आदेश दिनांक 17.05.2011 की प्रतियां भी प्रस्तुत की गयी, जिन्हें पत्रावली पर रखा गया।

5. फलतः अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत दोनों अपीलें निष्प्रभावी (infructuous) हो जाने से खारिज की जाती हैं।

6. निर्णय सुनाया गया।

(के. एल. जैन)
सदस्य

14/12/17
(राजीव चौधरी)
सदस्य